ISSN 0975-119X

Peer Reviewed Journal

वर्ष 15 अंक 3 मई-जून 2023

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

OUR PUBLICATIONS

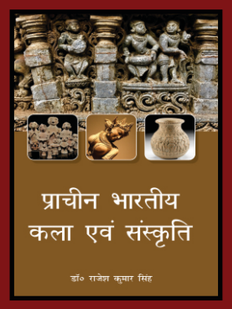

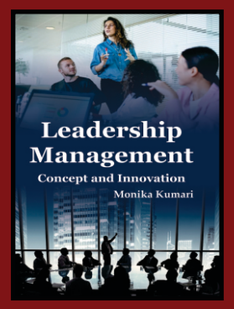

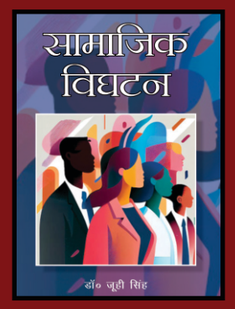

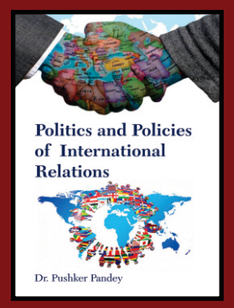

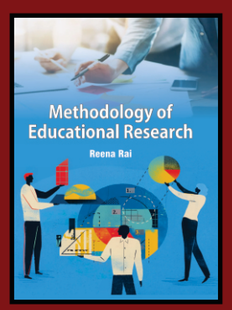

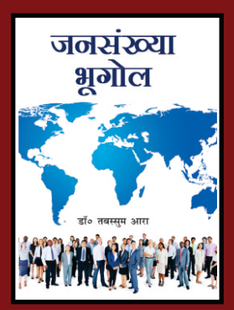

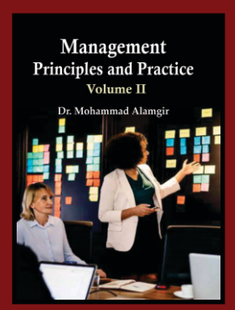

220, Pocket-V, Mayur Vihar-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-40564514, 22753916

OUR PUBLICATIONS

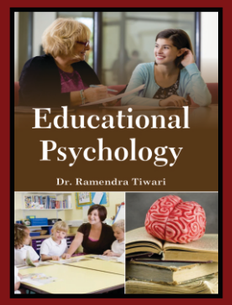

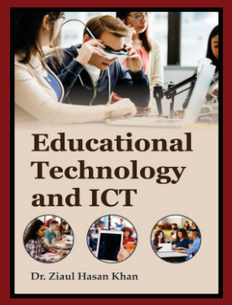

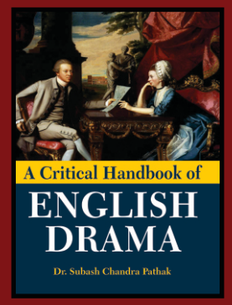

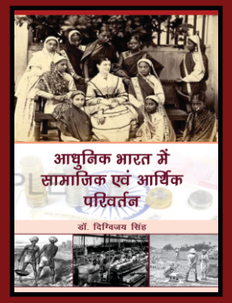

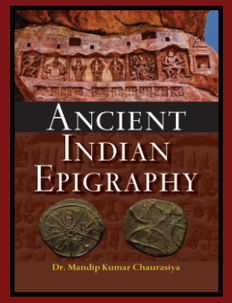

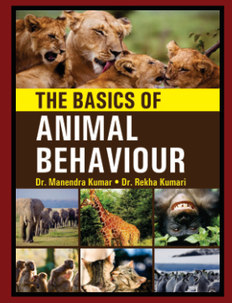

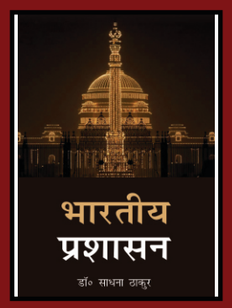

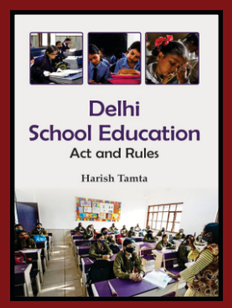

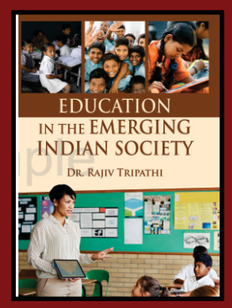

220, Pocket-V, Mayur Vihar-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-40564514, 22753916

OUR PUBLICATIONS

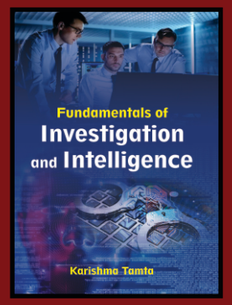

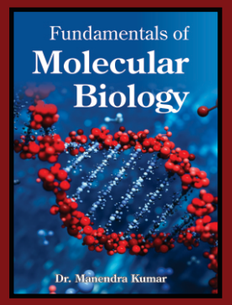

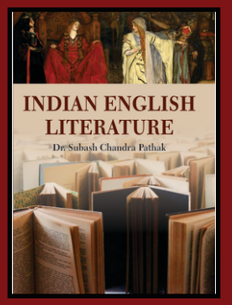

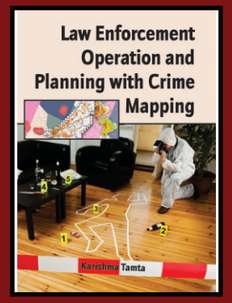

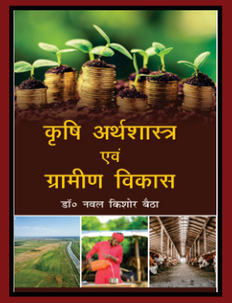

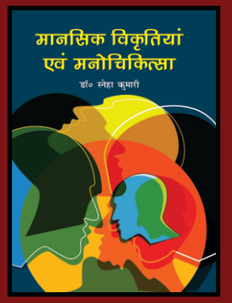

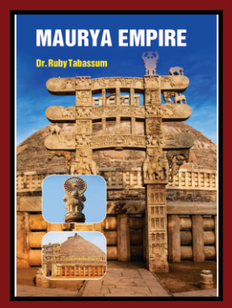

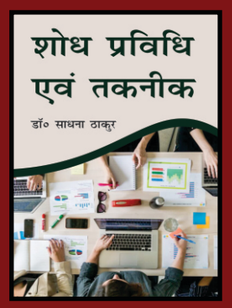

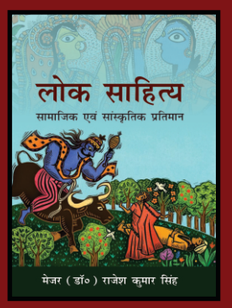

220, Pocket-V, Mayur Vihar-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-40564514, 22753916

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

प्रो. प्रसून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 15 **अंक** : 3 ❑ मई–जून, 2023

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
डॉ. अमर कान्त सिंह
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. विजय प्रताप सिंह
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्क:

220, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 40564514, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com

©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

यदि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में ही इतना अधिक कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा, तो उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है? इसलिए वाहन कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण से होने वाले उत्सर्जन का हिसाब-किताब रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए और ऐसी सूचना देना वैधानिक रूप से अनिवार्य होना चाहिए।

आज जब दुनिया भर में भारी कार्बन उत्सर्जन के चलते पर्यावरणीय प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों को उसके एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत सरकार भी परंपरागत वाहनों की जगह पर इलेक्ट्रिक वाहन लाने की नीति बना चुकी है। लेकिन क्या इससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का समाधान हो जाएगा? आज प्रत्यक्ष कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का हिस्सा 25 प्रतिशत है और उसमें से 45 प्रतिशत उत्सर्जन यात्री कारों से होता है। विज्ञापन

ऐसे प्रत्येक वाहन में 20 हजार से 30 हजार कल-पुर्जे लगते हैं, जिनमें एल्युमीनियम, स्टील समेत कई चीजों का इस्तेमाल होता है, और जिनके उत्पादन से भारी मात्रा में प्रदूषण फैलता है। जानकारों का मानना है कि वाहन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कल-पुर्जों से होने वाला प्रदूषण, जो अभी 18 प्रतिशत है, 2040 तक बढ़कर 60 प्रतिशत हो सकता है। इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाली बैटरी का वजन कम करने के लिए कार निर्माता एल्युमीनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण और बढ़ता है, क्योंकि एल्युमीनियम का खनन व उत्पादन ऊर्जा की खपत बढ़ाता है।

बैटरी और कल-पुर्जे बनाने में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। इसलिए माना जा रहा है कि परंपरागत वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा प्रदूषण होने वाला है। इलेक्ट्रिक कारों में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, ग्रेफाइट, स्टील, एल्युमीनियम और प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। कल्पना की जा सकती है कि इन सबके खनन और उत्पादन में कितने संसाधन लगेंगे और कितनी ग्रीनहाउस गैसों का अतिरिक्त उत्सर्जन होगा! इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि पूरी आपूर्ति शृंखला में कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है।

यदि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में ही इतना अधिक कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा, तो उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है? इसलिए वाहन कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण से होने वाले उत्सर्जन का हिसाब-किताब रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए और ऐसी सूचना देना वैधानिक रूप से अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और इस्तेमाल से होने वाला कार्बन उत्सर्जन पारंपरिक वाहनों से कम ही है।

लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कल-पुर्जों, बैटरी इत्यादि के निर्माण से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए और ज्यादा प्रयास होने चाहिए। नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। यदि यह बिजली तेल, कोयले इत्यादि से बनाई जाती है, तो उससे भी कार्बन उत्सर्जन होता है। अभी इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में शुरुआत भर हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में प्रौद्योगिकी विकास की अपार संभावनाएं हैं।

बैटरी की कार्यकुशलता में सुधार हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों को गैर परंपरागत ऊर्जा से भी चार्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हाईड्रोजन ऊर्जा के लिए भी प्रयास तेजी से चल रहे हैं। हाईड्रोजन चालित और इलेक्ट्रिक कारों में एक समानता होती है कि दोनों में इंजन नहीं होता, लेकिन जहां इलेक्ट्रिक कारें पुनः चार्ज होने वाली बैटरी से चलती हैं, हाईड्रोजन कारें हाईड्रोजन ईंधन सेल से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। हाईड्रोजन कारों से केवल शुद्ध पानी का ही उत्सर्जन होता है, इसलिए उनसे कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता।

– संपादक

इस अंक में

कैमूर जिले का प्राचीन इतिहास एवं स्थापत्य: एक अवलोकन–राजा अम्बेदकर; डॉ० उदय नारायण तिवारी 1

जैन धर्म में कला संस्कृति एवं कर्म सिद्धांत: एक अवलोकन–नवीन नवनीत; डॉ० उदय नारायण तिवारी 4

भारत के संविधान निर्माण की प्रेरक परिस्थितियाँ–मुकुल प्रकाश 7

भारत में आधुनिक इतिहास लेखन का विश्लेषण एवं प्रासंगिकता–डॉ० संजीत लाल 11

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटक और आर्थिक चेतना–कंचन कुमारी 14

समाज पर सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव–ज्योति 18

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और सम्पूर्ण क्रांति: एक अवलोकन–डॉ० पवन कुमार प्रभाकर 25

कृषि सकंट तथा भारतीय किसानों पर इसका प्रभाव–सरोज रानी 29

मैथिली लोकगाथा 'सलहेस'–संजीत कुमार राम 34

'हरगौरी विवाह' नाटकक गीत-विन्यास; डॉ० अरविन्द कुमार सिंह झा 36

कवीश्वर चन्दाझाक मुक्तक काव्यमे नारी चित्रण–डॉ० अरुण कुमार ठाकुर 39

भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–महेश कुमार सिंह; डॉ० विकास रंजन 44

निराला के साहित्य में मानवतावाद व युगीन परिवेश का विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० जैस्मिन करुना 47

भगत सिंह एक पत्रकार के रूप में–ममता कुमारी; डॉ० शर्मिला लोचब; डॉ० रामजीलाल 52

भारत-चीन सीमा विवाद: एक समाधान विहीन संघर्ष–डॉ० रजवन्त सिंह 55

स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस एवं बिहार के किसानों की भूमिका–दीप नारायण राम 58

प्रयागराज जनपद के माध्यमिक स्तर पर कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर का अध्ययन
–प्रो० (डॉ०) शिव शरण शुक्ल; प्रियंका जायसवाल 61

आयुर्वेद का विभिन्न देश काल में विश्लेषण–डॉ० नागेन्द्र मिश्र; मधु कुमारी 68

नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जैन धर्म के आलोक में सामाजिक न्याय: एक विश्लेषनात्मक अध्ययन–डॉ० नागेन्द्र मिश्र; हरिवंश कुमार मिश्रा 71

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ता प्रभाव: एक विश्लेष्णात्मक अधययन–सुप्रिया कुमारी; गिरी राज शर्मा 74

भारतीय स्वतन्त्रतापूर्व हुए संघर्ष का विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० बिनोद कुमार 78

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा मानवाधिकार का हनन (2015 के नेपाल और उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में)–डॉ० प्रीती लाल 83

भारत में पंचायती राज का स्वरूप: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–नीतु 86

बिहार में स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण विकास का बदलता स्वरूप–वरिषा कुमारी चौरसिया; डॉ० श्यामदेव पासवान 89

बिहार में राष्ट्रवाद के प्रतिरोध के रूप में स्वामी सहजानन्द सरस्वती की भूमिका–चौधरी रवि कान्त; प्रो. (डॉ.) दया नन्द राय 93

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भारत में ब्रिटिश शासन पर प्रभाव–लाल मोहन राम; प्रो. (डॉ.) दया नन्द राय 97

कबीर का आदर्शमानव और मानवतावाद का मूल्यांकन–डॉ० मुकेश कुमार कन्नौजिया 102

रोजगार एवं गरीबी निवारण के लिए युवाओं एवं महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक–विनय कुमार चौहान 105

भारत में ई-कॉमर्स का अध्ययन–मोहम्मद कमाल अकबर 108

महिलाओं के विकास में गुणवतापूर्ण शिक्षा की भूमिका–कन्हैया जी 111

हिन्दी साहित्य और आदिवासी लोकजीवन का वर्णन–डॉ० अभय नाथ सिंह 114

खेल का महत्व एवं प्रकार: शारीरिक शिक्षा के सन्दर्भ में–हरिनाथ सिंह 117

खेल एवं खेल महत्व: मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के सन्दर्भ में–प्रवीण कुमार दुबे 121

भारत में धर्मनिरपेक्षता अपनी पृष्ठभूमि से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक: एक अध्ययन–डॉ० अशोक कुमार 124

भारत में जाति व्यवस्था और भारतीय समाज: एक अध्ययन–डॉ० योगेन्द्र प्रसाद शर्मा 127
भारत में लोक प्रशासन पर नियंत्रण के विविध साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० श्याम शंकर प्रसाद 131
वर्तमान समय में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में पोषण योजना से पडने वाले प्रभाव का अध्ययन –डॉ० सुनीता अवस्थी; तनूजा सिंह 134
दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० किशोर कुमार पासवान 136
भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका–पूजा कुमारी 139
रामकथा की संक्षिप्त रूपरेखा–डॉ० चांदणी लक्ष्मण पंचांगे 144
सेवा केन्द्रों द्वारा सम्पादित सेवा कार्य एवं ग्रामीण विकास में उनका योगदान–संध्या कुमारी 147
जे0 कृष्णमूर्ति के दृष्ठिकोण के अनुसार शिक्षा में शिक्षक की परिवर्तक भूमिका–खुशबू सिंह; डॉ० रितुचंद्रा 150
धातु प्रौद्योगिकी–डॉ० नवीन कुमार सिंह 153
मुगल अर्थव्यवस्था का स्वरूप और विकास–आशीष कुमार ठाकुर 159
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहारी गांधीवादी महिला ब्रिगेड का योगदान–प्रभात कुमार निराला 162
बुद्धकाल (छठी सदी ई० पूर्व) में जातिवाद पर प्रहार एवं इसका सामाजिक प्रभाव: एक अध्ययन–मुकुंद कुमार; डॉ० मुकेश कुमार 166
हिन्दी साहित्य में थर्ड जेण्डर की मनोवैज्ञानिकता–मानवेन्द्र चतुर्वेदी 171
स्वामी विवेकानन्द और भारत की विश्व केन्द्र की संकल्पना: वर्तमान सन्दर्भ में–डॉ० योगेश्वर नाथ पाण्डेय 175
जाति, ऐतिहासिक सन्दर्भ में: एक अध्ययन–प्रोफेसर (डॉ०) दिनेश मांडोत; प्रमोद कुमार 179
गिजूभाई का जीवन परिचय एवं शिक्षा सम्बन्धी अवधारणा–डॉ० श्यामा नन्द 'आजाद'; राजीव रंजन 183
हर्षकालीन कल्याणकारी प्रशासन व स्थानीय प्रशासन–संजय कुमार शुक्ल 186
भारत के प्राचीन 'दुर्ग': कौटिल्य के संदर्भ में–वन्दना कुमारी 189
मालदीव में चीन का कूटनीतिक आक्रमण–डॉ० सच्चिदा नन्द राम 192
मारवाड़ के प्रमुख जुंझार (झुंझार)–डॉ० भगवान सिंह शेखावत 195
वैदिक वाङ्मय में अर्थचिन्तन–उदयन कुमार 197
दांपत्य जीवन में अलगाव–कुसुम लता; डॉ० आशा सहारन 204
भारतीय ज्ञान परंपरा में सिद्ध एवं नाथ साहित्य–सोमबीर सिंह 208
भारत में ई-कॉमर्स का प्रभाव एवं संभावनाएँ–डॉ० रश्मि पाण्डेय 212
महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन–नुतन रानी 215
डिजिटल योजना अंतर्गत नालंदा जिला प्रखंड हरनौत में पंचायतों का डिजिटलीकरण: एक समग्र विश्लेषण–कार्तिक कुमार 219
मुगल आर्थिकी: एक ऐतिहासिक मूल्यांकन–कृष्ण बिहारी गर्ग 223
प्राचीन काल में जैन संस्कृति: एक समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ० रिंकी कुमारी 226
दक्षिण कोशल में स्थापत्य कला (अड़भार एवं किरारी के विशेष संदर्भ में)–डॉ० चौलेश्वर चन्द्राकर 230
संस्कृत महाकाव्यों में सांस्कृतिक पर्यावरण तथा उसके विविध आयाम–अजीत कुमार 232
महात्मा गाँधी के राजनीतिक विचार: एक अवलोक–नीति वर्मा; प्रो० (डॉ०) रामजी सिंह 235
खेल में महिलाओं की मानसिक दबाव–पंकज प्रवीण 242
तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षाध्यायवल्ली: एक अध्ययन–पुरूषोत्तम पाण्डेय 247
स्वतंत्रता के पश्चात पंडो जनजातीय विकास के प्रयास–डॉ० प्रतिभा सिंह; प्रतिभा कश्यप 251

स्वतंत्रता के पश्चात पंडो जनजातीय विकास के प्रयास

डॉ० प्रतिभा सिंह

विभाग प्रमुख, समाजशास्त्र, राजीव गाँधी शासकीय पी0जी0 कालेज, अंबिकापुर छत्तीसगढ़

प्रतिभा कश्यप

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय रेवती रमण मिश्र पी0जी0 कालेज, सूरजपुर, छत्तीसगढ़

पंडो जनजाति का परिचयः-

पंडो जनजाति जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली एक आदिम जनजाति है, जो आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से पहाड़ी एवं जंगली जनजातियों में गिनी जाती है। जो लोग वन्य समाज से बाहर आकर रहते हैं, वे जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में निवास करने वाली भारिया जनजाति का उप-समूह है, जिसमें भारिया, भुमियां, भुईडर, पलिडा और पाण्डों शामिल हैं। पाण्डों जनजाति द्रवणीयन भाषा परिवार से संबंधित है और इसे दो अंतर्वैवाहिक भागों में बांटा गया हैः सरगुजिया पाण्डों और उत्तराडा पाण्डों।

सेन्ट्रल प्राविन्स और बेरार रिपोर्ट (1921) में पाण्डों जनजाति का पहली बार उल्लेख किया गया है। ये जनजाति जंगली क्षेत्रों में अर्धनग्न अवस्था में रहती हैं, जहाँ पुरुष लंगोट और महिलाएं सफेद धोती पहनती हैं। हालांकि, गाँवों में रहने वाले पाण्डो परिवारों ने बदलते परिवेश के कारण गाँव के अन्य लोगों के समान वेशभूषा अपनाई है। पाण्डो लोग मध्यम और छोटे कद के होते हैं, जिनका शारीरिक आकार डालिक और मैसोसिफैलिक प्रकार का होता है। इनके चेहरे का आकार माध्यम से लम्बी विशेषता लिए हुए होता हैं, तथा इनकी ठूड्डी कम विकसित होती हैं इनके शरीर का रंग साँवले से काला होता हैं तथा शरीर पर कम बाल दिखते है इनके शरीर का बनावट भी हस्टपुस्ट व मजबूत नही हैं।

इस जनजाति की भाषा या उपभाषा को पाण्डो' भाषा की संज्ञा दी गई है। पाण्डो भाषा छत्तीसगढ़ की 'सरगुजिया उपभाषा से काफी मिलती-जुलती है। वर्तमान में परिशुद्ध पाण्डो भाषा बोलने वाले नगन्य ही रह गये हैं अपितु वे बोल-चाल में 'सरगुजिया उपभाषा' का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। सेन्सस ऑफ सेन्ट्रल प्राविन्स और बेरार रिपोर्ट 1931 के अनुसार, भाषा के आधार पर इनको 'द्राविड़ियन भाषा परिवार के अर्न्तगत सम्मिलित किया गया है। लेकिन सेन्सस ऑफ इण्डिया, 1961 लेंगवेज टेबुल पार्ट सेकण्ड में इनको 'इण्डो-आर्यन भाषा परिवार के अर्न्तगत रखा गया है।

शर्मा (2002)[1] ने जनगणना रिपोर्ट 1931 में पंडो जनजाति का निवास क्षेत्र प्रमुख रूप से सरगुजा जिला को बताया गया है। तथा यह जनजाति भारिया, भूमिया, भुईहर जनजाति का एक उप समूह के रूप में माना गया है। तथा यह जनजाति समूह को कोरवा जनजाति के समूह के समकक्ष माना है। यह एक पृथक जनजाति समूह है तथा पाण्डो जनजाति समूह को जिन्हें सरगुजिया पाण्डो एव उत्तरहा पाण्डो के नाम से जाना जाता है। पाण्डेय एवं सहयोगी (2002)[2] ने सरगुजा जिले के पहाड़ी कोरवा और पाण्डों जनजाति का तुलनात्मक अध्ययन किया जिसमें परिवार के प्रकार व्यवसाय वार्षिक आय शिक्षा तथा विद्युत व्यवस्था आदि का संक्षिप्त उल्लेख किया है।

मोहंती (2004)[3] ने अपने अध्ययन में पाण्डो जनजाति समूह के भारिया जनजाति का अपेक्षाकृत विस्तृत अध्ययन किया है जिसमें उन्होने यह जनजाति समूह को दृविड़ियन परिवार का जनजाति कहा है। तथा उन्होने भारिया जनजाति के वंश गोत्र जनसंख्या का वितरण जीवन चक्र पहनावा भोजन परंपरागत व्यवसाय का वितरण आदि का अध्ययन किया है। जिसमें उन्होने इस जनजाति समूह में केवल 5 प्रतिघत साक्षर होना पाया गया है।

डोला एवं सहयोगी (2006)[4] ने अपने अध्ययन में पाण्डो जनजाति के स्वास्थ्य स्तर का अध्ययन किया है। जिसमें उन्होंने जनजाति में भोजन का पौष्टिकता का निम्न स्तर होना बताया है। जिससे पाण्डों जनजाति के लोगो का ऊँचाई एवं वजन अपेक्षाकृत कम होना पाया गया है।

स्वतंत्रता के पश्चात जनजातीय विकास के प्रयासः-

स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न नियोजित प्रयास किए गए, जिसमें 1954 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत 43 विशेष बहु उद्देशीय विकास परियोजनाएं शुरू की गईं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास था, लेकिन ये पहाड़ी और वन क्षेत्रों में थीं, जहां सुविधाओं की कमी और दूरसंचार की समस्या के कारण इन प्रयासों से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई।

सन् 1956 में एल्विन समिति ने आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं की आवश्यकता को पहचानते हुए विभिन्न योजनाओं को लागू करने की सिफारिश की। 1957 में, आदिवासी विकास खण्डों के अल्प गहन माडल के तहत परियोजनाओं को प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें प्रत्येक खण्ड 150 से 200 वर्ग मील

क्षेत्र और लगभग 25 हजार जनसंख्या तक सीमित था। इन खण्डों को आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार पर केंद्रित होकर कार्य करना था, और उन्हें निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

अप्रैल 1960 में ढेबर आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों की विकास दर की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1961 में प्रस्तुत की। आयोग ने पाया कि इन क्षेत्रों में विकास की दर बहुत कम है और सरकार को शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोग ने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए व्यापक विधानों और सरल प्रशासनिक प्रणाली की सिफारिश की, साथ ही 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए आदिवासी विकास खण्ड की योजना की अनुशंसा की, जिसे मान लिया गया और विकास की मध्य इकाई के रूप में रखा गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक आदिवासी जनसंख्या के 40 प्रतिशत को समाहित करते हुए लगभग 500 खण्डों में क्रियान्वित किया गया, लेकिन इससे अधिकांश आदिवासी विकास कार्यक्रमों से वंचित रहे। 1969 में शीलू आओ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने पाया कि ढेबर आयोग की अधिकांश सिफारिशें लागू नहीं हुई। समिति ने खंड योजना को अपर्याप्त मानते हुए इसे नामंजूर किया और सुझाव दिया कि आदिवासियों की प्रमुख समस्याओं, जैसे ऋणग्रस्तता, भू-हस्तांतरण, आर्थिक पिछड़ापन और संचार व्यवस्था में कमी का प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए।

चौथी योजना के दौरान चार राज्यों में छह आदिवासी विकास एजेंसियों की स्थापना की गई, जिनमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा में दो-दो तथा बिहार और आंध्र प्रदेश में एक-एक शामिल थे। योजना के अंत में उड़ीसा में दो और एजेंसियां शुरू की गईं। इन एजेंसियों का उद्देश्य एकीकृत विकास कार्यक्रमों और सुरक्षा उपायों का समाकलन करना था, जिसके लिए लगभग 44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। हालांकि, इन एजेंसियों के प्रयास मुख्यत: कृषि विकास तक सीमित रहे और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहीं, जिससे अन्य क्षेत्रों में विस्तार नहीं हो सका।

सुरक्षात्मक व्यवस्था:-

सुरक्षात्मक संवैधानिक प्रावधान आदिवासी समाजों को अन्य समाजों की अपेक्षा विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये निम्नलिखित हैं-

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों और जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर प्रतिबंध है, जबकि अनुच्छेद 16 में रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकती है। अनुच्छेद 23 बालश्रम और बेगार प्रथा को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 29 आदिवासी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 राज्य से आदिवासियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 164 में कुछ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 275 के तहत केन्द्र सरकार विशेष धनराशि प्रदान करती है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330, 332, और 334 में दी गई है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा कल्याण आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 340 सरकारी शिक्षा में आरक्षण और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के दर्जे के लिए है।

सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का कार्यक्रम[5]-

1. मैं यह जानकर गौरवान्वित हुई कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पंडोनगर आए थे। पंडो समुदाय के लिए यह परिसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है। उस समय जंगलों से घिरे इस गांव के जिस कच्चे और घास-फूस की छप्पर से बने घर मे राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद रुके थे, उस घर को बाद में गांव के लोगों ने कुछ अधिकारियों की मदद से राष्ट्रपति भवन का नाम दे दिया, तब से इस भवन को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पंडो समुदाय के उत्थान के लिए अनेकों प्रयास किये। हम सभी उनका अनुकरण कर उनके प्रयासों को आगे बढ़ाएं और इन समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करें। विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति समुदाय के लोग भी प्रथम राष्ट्रपति का जन्मदिन प्रति वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके उत्थान के लिए राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
2. आदिवासी समाज हमेशा से ही प्रकृति से जुड़ा रहा है। उनकी परंपराओं, धार्मिक आयोजन, लोक नृत्य, संस्कृति में प्रकृति का प्रभाव है। हमें इस जुड़ाव को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इन परंपराओं को यदि संरक्षित नहीं किया गया तो ये तेजी से विलुप्त हो जायेंगी।
3. हमारे राज्य में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवासरत् हैं, जिनमें पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पण्डो एवं भुंजिया शामिल हैं। जब हम जनजातीय समुदायों के विकास की बात करते हैं तो निश्चित ही विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन्हें इसका केन्द्र बिन्दु मानना भी उचित होगा।
4. वन आच्छादित सरगुजा संभाग प्रकृति से निकटता का अनुभव कराता है। पांच जिलों का यह संभाग जनजातीय बाहुल्य है। इन जिलों में पहाड़ी कोरवा व पण्डो जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियां भी निवासरत हैं। मुख्यधारा से दूर अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं तथा जागरूकता की कमी के कारण इन समुदायों का समुचित विकास नहीं हो पाया। पहाड़ी कोरबा व पण्डो जनजाति के लोग मुख्यत: वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके विकास के लिए प्रशासन को इनके मान्यताओं तथा परंपरागत व्यवहार को सहेजते हुए कार्य योजना तैयार करनी होगी।
5. सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विकास अभिकरणों का भी गठन किया गया है। इसके बावजूद भी विशेष पिछड़ी जनजातियों को शतप्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मूलभूत जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
6. इन पिछड़ी जनजातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का आभाव भी है। अशिक्षा के कारण ये अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति भी सजग नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें शिक्षित कर जागरूकता के माध्यम से ही इनका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है।

7. इन जनजातियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी पहल की जानी चाहिए। समुदाय की महिलाओं व बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याएं भी विद्यमान है। इसे दूर करने के लिए इनके स्वास्थ्य की नियमित जांच हो तथा आवश्यकता अनुरूप पूरक पोषण आहार की सतत् आपूर्ति की जाए।
8. विशेष पिछड़ी जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि इनका पलायन न हो। इन्हें शासन की रोजगारोन्मुखी तथा कौशल विकास की योजनाओं से जोड़ने की भी आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में जनजातीय समाज परंपरागत व्यवसायिक कार्यों से दूर होता जा रहा है। ऐसे में इनके कला व संस्कृति से जुड़े व्यवसाय को संरक्षण दिया जाए तथा इनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराएं। इससे निश्चित ही बेरोजगारी की समस्या दूर होगी तथा उनके कला को भी सम्मान मिलेगा।
9. आदिवासी हितों की रक्षा के साथ शिक्षा, आर्थिक कल्याण और सामुदायिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कार्यक्रम संचालित हैं, जिनका बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए शासकीय प्रयासों के अतिरिक्त समाज के लोगों की भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग की आवश्यकता होगी। इसके लिए आदिवासियों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जनजातीय कल्याण से जुड़े योजनाओं से अवगत कराने का काम करना होगा। तभी आदिवासियों का उत्थान होगा और वे वास्तविक रूप से सशक्त हो पाएंगे। इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज के प्रबुद्धजनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
10. साथ ही जनजातीय बाहुल्य इलाकों में संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत विशेष प्रावधान उल्लेखित है। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जनजातीय समुदाय को उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित न किया जाए। संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास हो ताकि पांचवी अनुसूची जैसे विशेष प्रावधानों से उन्हें संरक्षण मिले।

मैं सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति द्वारा जनजातीय उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की भी सराहना करती हूं। साथ ही मेरा आग्रह है कि आप सभी सतत रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति के कल्याणकारी कार्यों को जारी रखें।

संदर्भ

1. Sharma, A.N. (2002): Tribal walfare and development emerging role of anthropological explorations sarup &sons publication darya ganj New Delhi, pp. 1-236.
2. Pandey, G.D .& Goyal A.K. (2002): A study on defferential household characteristics of two Tribal Grops of surguja District in madhyapradesh vol II No. 1 serials publication Delhi (India) March, 2002, pp. 53-37.
3. Mohanti, P.K. (2004): Encyclopaedia of primitive Tribes in India vol. I Kalpaz publication Delhi, pp. 46-56.
4. Dolla, C.K, Meshram P.K & Kumar Dinesh (2006): Nutrional status of pando Tribes in central India, Indian Journal of preventive and social Medicine vol. 37 No.3- 4, P. 11-114.

5ण सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का कार्यक्रमए 25 मार्च 2022ए सूरजपुर।